

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 496/2012/जोधपुर

मैसर्स माहेश्वरी मोहन लाल
जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट चतुर्थ, वृत्त-ई, जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री जे.एल.राठी
सी.ए.
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक
निर्णय दिनांक 10.06.2014

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी ने उपायुक्त(अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 9/आरवेट/जेयूई/10-11 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2011 के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट चतुर्थ, वृत्त-ई, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23/24(1) व 24(2) के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिक्कनांक 3.9.2010 से आई.टी.सी. रु. 56,923/- को किया गया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अलोच्य वर्ष 2008-09 के कर निर्धारण आदेश में रु. 56,923/- की आई.टी.सी. रिवर्स किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में अपीलार्थी व्यवसायी के गोदाम में आग लगने से 4 प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत कर दर से जो कर योग्य माल नष्ट हो गया था, उस माल के क्य पर कलेम किए गए आगत कर को रिवर्स किया गया है। उक्त रिवर्स किये गये आई टी सी के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान सी.ए. ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल के क्य करते समय जो वैट का भुगतान किया गया है वह उन्हें अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत आगत कर के रूप में क्रेडिट मिलने योग्य है तथा माल के आग में जल जाने की वजह से विक्य नहीं होने से उस पर आगत कर का रिवर्स किया जाना अनुचित एवं अविधिक है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आई टी सी रिवर्स किये जाने का कोई कारण नहीं बताया है। उनका कथन है कि आग लगने की घटना के प्रमाण भी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे तथा

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बीमा कम्पनी से क्षति पूर्ति प्राप्त करने हेतु दावा भी किया गया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही अपील अस्वीकार की है, जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 18 का निर्वचन करते हुए प्रकरण के तथ्यों पर समग्र एवं विस्तृत विवेचन करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में अपीलार्थी व्यवसायी के गोदाम में आग लगने से 4 प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत कर दर से जो कर योग्य माल नष्ट हो गया था, उस माल के क्रय पर क्लेम किए गए आगत कर को रिवर्स किया गया है। प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि क्रय शुदा माल जिसका अपीलार्थी द्वारा वैट चुकाया गया हुआ वह उस माल के नष्ट होने जाने की स्थिति में आगत कर प्राप्त करने लिए अधिकृत है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 2(33) एवं 18 उद्धृत करना समीचीन होगा :—

(33) “reverse tax” means that part of the input tax for which credit has been availed in contravention of the provisions of section 18;

18. Input Tax Credit. — (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of—

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, “*except those as may be notified by the State Government*,” in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or

- (f) "**being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale**" in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

वेट अधिनियम के तहत आई.टी.सी. का क्रेडिट दिये जाने के प्रावधान किसी पंजीकृत व्यवसाई द्वारा पुनः विक्रय पर या उपयोग पर आने वाले कर के विरुद्ध समायोजन करने पर हैं और इस प्रक्रिया में माल के निष्पादन का महत्वपूर्ण बिन्दु अन्तनिहित होता है। यदि कोई व्यवसाई माल विक्रय करने हेतु या कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने हेतु या पैकिंग मेट्रेसियल के रूप में काम में लेने हेतु माल प्राप्त करता है और उससे संबंधित आई.टी.सी. अपने खातों में क्रेडिट करता हैं परन्तु बाद में इसका अन्यथा उपयोग हो जाता है, जैसे उदाहरणार्थ कोई कच्चा माल कर योग्य माल के निर्माण के बजाय करमुक्त माल के निर्माण कार्य में लिया जाए तो उसकी आई.टी.सी रिवर्स की जायेगी, इसी तरह माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय विक्रय हेतु प्राप्त करे तब भी वह आई.टी.सी. खाते में क्रेडिट होगी परन्तु बाद में वही माल यदि स्टॉक ट्रांसफर करते हुए अन्य राज्य में भेज दिया जाए तो वह आई.टी.सी. पुनः रिवर्स की जायेगी। इससे स्पष्ट होता है कि माल के क्य करते वक्त आई.टी.सी. की राशि आई.टी.सी खाते में क्रेडिट तो हो जायेगी परन्तु यदि बाद में वह माल धारा 18 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निष्पादित नहीं होता है तो उक्त क्रेडिट की गई आई.टी.सी. को रिवर्स किया जाना अनिवार्य होगा।


अपीलार्थी के माल का जो नुकसान हुआ है वह माल की पूर्ण कीमत है जिसके लिये वह इन्श्यारेंस कम्पनी में क्षपिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत है और अपीलार्थी ने यह दावा प्रस्तुत भी किया गया है। इसी तरह माल के साथ-साथ उस पर आरोपित कर उसके मूल्य का अभिन्न भाग है एवं माल के नष्ट होने पर सम्पूर्ण नुकसान की भरपाई इन्श्योरेंस कम्पनी से ली जा सकती है। व्यवहारिक रूप से भी यह अनुचित प्रतीत होता है कि जो माल नष्ट हो गया है, उसकी कर राशि वह राज्य से प्राप्त करे। माल नष्ट होने के पश्चात् धारा 18 के तहत आई.टी.सी. क्रेडिट पाने की पात्रता भी समाप्त हो जाती है क्योंकि धारा 18 के क्लॉज 'ए' से 'जी' के मध्य वर्णित अवस्थाओं के अनुसार माल का निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आगत कर के क्रेडिट की पात्रता समाप्त हो जाने से आगत कर का रिवर्स किया जाना स्वाभाविक रूप से विधिपूर्ण है।

20

-4-अपील संख्या 496 / 2012 / जोधपुर

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2011 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



(सुशील शर्मा)
सदस्य